सितम्बर 2024
वर्ष 38 संख्या 9
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

बंगलादेश : निरंकुश सरकार का अंत और आगामी संघर्ष

बंगलादेश में एक राजनीतिक तूफान आया। छात्रों की सुनामी शेख हसीना के 15 साल के निर्बाध शासन को बहा ले गई। 5 अगस्त को उन्हें बांग्लादेश से भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सेना ने लोगों के बढ़ते जनसमूह पर दमन करने से इंकार कर दिया। पुलिस बल भागकर पुलिस स्टेशनों में वापस चले गये और कुछ स्थानों पर पुलिस स्टेशनों पर धावा बोल दिया गया।

ऐसी विस्फोटक घटनाओं के पीछे कई अंतर्निहित कारक होते हैं। पाकिस्तान सेना के खिलाफ 1971 के युद्ध के सेनानियों के वंशजों के नाम पर आवामी लीग समर्थकों के लिए 30% आरक्षण की बहाली का विरोध कर रहे छात्रों का शेख हसीना द्वारा क्रूर दमन, उनके बढ़ते अलोकतांत्रिक शासन के लिए तत्काल महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। साहस और बलिदान की गाथा वाले इन विरोध प्रदर्शनों में कथित तौर पर 440 से अधिक छात्र मारे गए हैं। ढाका, चटगांव, रंगपुर और कई अन्य केंद्र इस संघर्ष के क्षेत्र बन गए। हालांकि शेख हसीना सरकार को 2018 में इस आरक्षण को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय के माध्यम से इसे बहाल कर दिया गया और छात्रों के विरोध को दबाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बंगलादेश में आवामी लीग शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, छात्रों का विरोध व्यापक लामबंदी को प्रेरित कर रहा था। शेख हसीना शायद या तो इस बात को नहीं जानती थीं और या उन्होंने ध्यान में नहीं रखा जो शासक विद्यार्थियों का दमन करते हैं, उनका अंत बुरा होता हैं।

शेख हसीना ने पिछले डेढ़ दशक में अपने शासन के खिलाफ कई आंदोलनों का दमन किया था। उसने अपना शासन कायम रखने के लिए पुलिस और सेना पर भरोसा किया। लेकिन इस बार सेना उनकी मदद के लिए नहीं आई और उन्हें सत्ता और देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनके शासन में, न केवल जनता बल्कि शासक वर्ग के विपक्षी दलों का भी दमन किया गया और कई नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया या देश से भागने के लिए मजबूर किया गया। शेख हसीना ने चुनाव कराने के लिए अंतरिम सरकार बनाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और चुनावों को एक हास्यास्पद बना दिया। 2018 के चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और जनवरी 2024 में हुए चुनावों का सभी विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। शेख हसीना द्वारा एक पार्टी का शासन लाने से चुनावों सहित लोकतांत्रिक स्थान लगभग समाप्त हो गया। अक्टूबर–नवंबर 2023 में वेतनवृद्धि और सुरक्षा उपायों के लिए और बढ़ते काम के बोझ के खिलाफ चालीस लाख कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल, जिनमें से 85% महिलाएं थीं, को बेरहमी से दबा दिया गया और एक महिला श्रमिक सहित आधा दर्जन श्रमिकों की हत्या कर दी गई और 19,500 श्रमिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। समय के साथ आवामी लीग में भी बदलाव आया और व्यापारिक हित पार्टी पर हावी होते गए और शेख हसीना के इर्द–गिर्द एक मंडली बन गई। शिक्षकों, वकीलों और पेशेवरों के पहले के नेतृत्व जिसने आवामी लीग को दमन के कई दौरों में आगे बढ़ाया था, को इन निहित स्वार्थों के पक्ष में हटा दिया गया। शेख हसीना और आवामी लीग का लोगों से अलगाव एक दिन में नहीं हुआ है।

ये विरोध प्रदर्शन धीमी अर्थव्यवस्था, विशेषकर युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और विदेशी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका–ब्रिटेन, चीन और भारत के बीच बढ़ते अंतर्विरोध की पृष्ठभूमि में आए। इन शक्तियों का अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति और रक्षा बलों में प्रभाव था। वर्तमान सेना प्रमुख को ब्रिटिश अकादमी में प्रशिक्षित किया गया था और सेना संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले शांति अभियानों में भाग लेतक हुए पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव में आती रही है।

शेख हसीना शासन के तहत बांग्लादेश को एक आर्थिक सफलता की कहानी के रूप में जाना जाता है। इसे विशेष रूप से परिधान क्षेत्र में विदेशी निवेश से लाभ हुआ, जो 1980 के दशक के मध्य में डब्ल्यूटीओ के एकध्रुवीय दुनिया में सक्रिय होने के बाद उभरा। बांग्लादेश, चीन के बाद, कपड़ों के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा, पश्चिमी बाजार इन निर्यातों का मुख्य गंतव्य थे। परिधान निर्यात ने इसकी निर्यात आय का लगभग 80 फीसदी हिस्सा का योगदान किया। सस्ते श्रम और मजदूरों की सुरक्षा के किसी भी प्रावधान सहित श्रमिकों के अधिकारों को लागू करने से मुक्ति की पेशकश करके विदेशी निवेश आकर्षित किया गया। इस तरह के दूर हो रहे उत्पादन का मतलब था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे के लिए उत्पादन, लेकिन उनका कोई कानूनी दायित्व नहीं है – यानी, विदेशी कंपनियों के लिए, जिनमें से कई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हैं, दूर देयों में उत्पादन किया जा रहा है। 24 अप्रैल 2013 को राणा प्लाजा ढहने से, जिसमें कपड़ा कारखाने थे, 1134 श्रमिकों की मौत हो गई और 2500 से अधिक लोगों को उस इमारत से बचाया गया। यह इतिहास की सबसे घातक कपड़ा फैक्ट्री दुर्घटना थी और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे 'व्यापार से संबंधित मानवाधिकारों के दुरुपयोग का सबसे चौंकाने वाला हालिया उदाहरण' कहा था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड सारी जवाबदेही से साफ–साफ बच गए। दूसरा क्षेत्र जिसने विदेशी निवेश को आकर्षित किया वह दवाई उद्योग था और यह भी पश्चिमी देशों में बारीकी से होने वाली जांच से बचने के लिए।

जहां इस अवधि में विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार देखा गया और सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई, इससे बांग्लादेश में असमानता बढ़ी। जहां औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में लगभग 30% योगदान देता है, इन एफडीआई पर निर्भर क्षेत्रों की वृद्धि के साथ, बंगलादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत और पाकिस्तान से आगे निकल गई। पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे के लिए श्रमिकों को बेहद कम वेतन और उचित सुरक्षा प्रावधानों के बिना काम करने के लिए मजबूर किया गया था। हालाँकि, एक पहलू महिला श्रमिकों का बड़े पैमाने पर रोजगार था। बंगलादेश में महिलाओं के बीच साक्षरता दर ऊंची (74%) है। लेकिन कोविड के बाद, इस निर्यात क्षेत्र की रिकवरी खराब रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद ईंधन की कीमतों में वृद्धि के साथ, बंगलादेश की मुद्रा (टका) हाल के महीनों में अपने मूल्य का 28% खोकर दबाव में आ गई है। औद्योगिक क्षेत्र में ठहराव और गिरावट के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है और 17 करोड़ बंगलादेशियों में से 3 करोड़ बेरोजगार हैं, जिनमें ज्यादातर युवा हैं। इससे इस 30% आरक्षण के खिलाफ छात्रों/ युवाओं के आक्रोश को समझा जा सकता है। कृषि जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14% का योगदान देती है और लगभग 42% कार्यबल जो इसमें काम करता है, उस पर सरकार का बहुत कम ध्यान रहा है।

आर्थिक ठहराव के अलावा, बंगलादेश विशेष रूप से अमेरिका–ब्रिटेन और चीन के बीच बढ़ते अंतर्विरोधों की चपेट में आ गया। पहले बंगलादेश में रूस का भी प्रभाव हुआ करता था, उसमें गिरावट आई है। जबकि भारत सरकार हाल के दशकों में पश्चिमी शक्तियों के अधिक करीब आई है, ये संबंध यूक्रेन युद्ध के बाद तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट के रूस से दूर करने का प्रयासों का विरोध किया है। चीन ने बंगलादेश में अपना निवेश बढ़ाते हुए उसके साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाए हैं। बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक रूप से स्थित इस देश के लिए चीन की दीर्घकालिक योजनाएँ हैं। वहीं अमेरिका भी बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव जमाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। शेख हसीना सरकार अमेरिका–ब्रिटेन और चीन के बीच खींचतान का सामना करते हुए भारत के करीब रही है। अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट, जो पहले दक्षिण एशिया में अपनी नीतियों पर भारत के साथ जोड़कर अमल कर रहा था, अब भारत को रूस से दूर करने के प्रयासों को जारी रखते हुए अपने हितों को अलग से आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका, विशेष रूप से लोकतंत्र पर हमले को मुद्दा बनाते हुए, शेख हसीना सरकार का आलोचक बन गया था। बंगलादेश में, समाज में, राजनीति में, सशस्त्र बलों और अर्थव्यवस्था में अमेरिका–ब्रिटेन के पर्याप्त हित हैं। वे बंगलादेश के वस्त्रों के सबसे बड़े निर्यात बाजार के साथ–साथ उनके द्वारा शुरू किए गए कई गैर सरकारी संगठनों और विश्व बैंक परियोजनाओं के माध्यम से गहरे संबंध रखते हैं।

हाल के घटनाक्रमों से यह स्पष्ट है कि अंतर–साम्राज्यवादी अंतर्विरोध तीव्र हो गया है और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच और भी बढ़ेगा। बांग्लादेश के घटनाक्रम को म्यांमार के घटनाक्रम के साथ भी देखा जाना चाहिए, जहां उस देश में सैन्य शासन के खिलाफ बढ़ते सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में इन शक्तियों के हित टकरा रहे हैं।

बंगलादेश में मौजूदा उभार को दो चरणों में देखा जाना चाहिए। जुलाई 2024 में पहले चरण में यह मुख्य रूप से छात्रों का आंदोलन था, हालांकि विपक्षी राजनीतिक दल अपने छात्र कार्यकर्ताओं के माध्यम से भाग ले रहे थे। ये छात्र अधिकांशतः मजदूर परिवारों से तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। हमें कुछ साल पहले इसी शाहबाग चौराहे पर छात्रों के विशाल विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें 1971 में पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अत्याचार करने वालों को सजा देने की मांग की गई थी। इस प्रकार, बंगलादेश में छात्र आंदोलन शासक वर्ग की पार्टियों के प्रभाव तक सीमित नहीं हैं।

बड़े पैमाने पर छात्रों की हत्या और यातनाओं की पृष्ठभूमि में, उनके इस्तीफे की मांग के साथ जब हसीना सरकार बैकफुट पर धकेल दी गई, शासक वर्ग की विपक्षी पार्टियों ने भी अपने समर्थकों को लामबंद कर लिया। 4 अगस्त तथा इसके बाद हुए प्रदर्शनों में कई जगहों पर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दोराहे पर खेती

क्या जैविक खेती रासायनिक खरपतवारनाशकों की खपत बढ़ाने का बहाना है?

आशीष

एन.डी.ए. की सरकार किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य व कर्ज मुक्ति की मांगों के विरूद्ध तो है ही, उसने अपने तीसरे कार्यकाल में खेती में कारपोरेट नियंत्रण और बढ़ाने की योजना पेश की है। वह "जैविक खेती", "जलवायु प्रभाव से सुरक्षित" और "लागत घटाने" के नाम पर ऐसा कर रही है। इस बजट में उसने घोषणा की है कि वह मौसम के प्रभाव से सुरक्षित फसलों और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देगी। इसके लिए निजी क्षेत्र को वित्तीय सहयोग देने और अगले दो साल में एक करोड़ किसानों को प्रमाणपत्र और फसलों की ब्राण्डिंग करने में सहयोग देकर जैविक खेती में लाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अनुकूल 11 अगस्त को दिल्ली के पूसा परिसर से जलवायु दुष्प्रभाव से सुरक्षित 34 अनाज तथा 27 फल व सब्जियों के 109 नये बीज देश को समर्पित किए।

जैविक खेती इस संकट के समाधान का लक्ष्य बताया गया है, जिससे खर्च भी घटेगा और जहरीले रसायनों से बचाव भी होगा। खेती के ये दोनो संकट विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रोत्साहित, भारत सरकार द्वारा अमल हरित क्रांति की देन हैं। पर जैविक खेती के सरकारी प्रस्ताव में कोई कारगर योजना नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव है कि इसमें पैदावार वर्तमान की मात्र 60 फीसदी होती है। भारत में 10 लाख एकड़ पर की जा रही ऐसी खेती में भी पैदावार के प्रस्तुत आंकड़े बहुत ही कम हैं।

खाद सब्सिडी में कटौती : ऐसा करना सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। रसायनिक खादों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, इजारेदारी कम्पनियां मनमाना दाम वसूलती हैं, खाद उत्पादन में लगने वाली प्राकृतिक गैस के दाम भी इजारेदार तय करते हैं और सरकार गैस और खाद दोनो पर टैक्स वसूलती है। सन् 2021–22 में खाद सब्सिडी पर कुल सरकारी खर्च 2.55 लाख करोड़ रुपये था जो इस बजट में घटाकर 1.64 लाख करोड़ कर दिया गया है। सरकार ने कुल सब्सिडी वाली खाद की आपूर्ति 30 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव किया है। इससे खुले बाजार में खाद के रेट बढेंगे।

जैविक खेती : कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय मिशन की गाइडलाइन और जीरो बजट प्राकृतिक खेती के कई लेख मिलते हैं। वे रसायनमुक्त खेती के तहत विविधीकरण के साथ मिश्रित फसल उगाने और खेत में ही फसलों के अवशेष सड़ाकर मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरक क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं। वे फसल विविधिकरण के साथ नीमास्त्र, अग्नेयास्त्र, नीम अर्क और दशपरनी अर्क जैसे वनस्पति फार्मूलों के साथ कीट नियंत्रण प्रस्तावित करते हैं। वे इससे पशुपालन और गोबर तथा गौमूत्र में वृद्धि, पर्यावरण, भूजल और प्राकृतिक पौष्टिक स्रोत में वृद्धि; मृदा में वायु रिसाव, लागत के दाम घटाने और इस तरह किसानों की आय बढ़ाने और काम बढ़ने से रोजगार बढ़ने के लाभ इसमें दिखा रहे हैं। वे बीज के उपचार के लिए खेतों में ही बीजामृता और जीवामृता जैसे कीट फार्मूलों से मृदा समृद्धि का लाभ भी बताते हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इसके प्रोत्साहन के लिए रायतु सदिकारा समस्था बनाई थी। जैविक खेती में लगे परिवारों को गुजरात तथा हिमाचल सरकारों ने कुछ आर्थिक सहयोग भी दिया है। केन्द्र ने जैविक लागत तैयार करने के लिए 18,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया है और प्रति किसान वह 600 रुपये इस मद में देती है। पर प्राकृतिक खेती क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है। जैविक कम्पोस्ट और केचुआ कम्पोस्ट तैयार करने में कई महीनें लगते हैं और बहुत महंगा है। इस दर से प्रति एकड़ खाद की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी।

जलवायु पर्यावरण तथा प्राकृतिक खेती अपनाने में दिक्कतें : देश के 86 फीसदी किसान छोटे व सीमान्त जमीन वाले हैं। अकसर उन्हें दोष देते हुए कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्हें कुछ प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। पर प्राकृतिक खेती अपनाना काफी जटिल काम है क्योंकि इसकी प्रक्रियाएं अलग हैं और लागत के दाम बढ़ जाएंगे और पैदावार कम है।

हाल में एकाएक गर्मी बढ़ने से गेहूं के दाने छोटे रह जाना, भारी बारिश और बाढ़ से देश व दुनिया में हुए फसलों को हानि, बेमौसम तुफान आदि समस्याओं ने रसायनिक खेती पर ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि जलवायु को क्षति पहुँचाने वाली ग्रीन हाउस गैस (ओजोन परत को भेदने वाली) में से एक तिहाई आधुनिक रसायनिक खेती के क्षेत्रों से पैदा होती है। दावा है कि रासायनिक खेती रोकने से ये प्रभाव उलट जाता है।

आन्ध्र प्रदेश की रसायनिक खेती में 8 लाख किसान जुटे हैं और इसका प्रबंधन सामुदायिक स्तर पर किया जाता है। इसकी सफलता की कहानी के प्रचार के साथ गंगा घाटी के क्षेत्र में नदी के दोनो तरफ 5 किलोमीटर रसायनिक खेती कराने का प्रस्ताव है। परन्तु सारे मूल्यांकन में यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि प्रति एकड़ पैदावार कितनी होती है।

जैविक खेती को प्रोत्साहन देने में केन्द्र सरकार को इससे जुड़ी बहुत सारी तकनीकी व व्यवस्थाएं खुद विकसित करनी होंगी, जिन्हें सरकार सम्बोधित नहीं करना चाहती। जैविक खेती के प्रभावशाली बीज निर्मित करने होंगे, अन्य लागत सामग्री की व्यवस्था करानी होगी, उससे जुड़ी मशीनरी व अन्य सामग्री, शिक्षा व शोध योजना, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण सुविधाएं, बिक्री तथा आर्थिक छूट, यानि सब्सिडी का प्रबंध करना होगा। कृषि वैज्ञानिक देवेन्द्र शर्मा लिखते हैं कि "जब हरित क्रांति लायी गयी तो उसका पूरा ईको सिस्टम बनाया गया जिसमें सघन खेती कराने की योजनबद्ध प्लानिंग की गयी। इसमें कई कृषि विश्वविद्यालय, स्पेशलाईज़्ड शोध संस्थाएं, सुविधाओं का व्यवस्थित जाल, किसानों को कर्ज की व्यवस्था, फसल की बिक्री, आदि व्यवस्था बनायी गयी। सब्सिडी भी शुरु की गयी और निवेश भी आया। बाद में खाद व कीटनाशक दवाओं की फैक्ट्रियां और बीज विकास की भी व्यवस्था बनी। जितना सहयोग हरित क्रांति को दिया गया, प्राकृतिक खेती में सहयोग उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है।"

भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उपरोक्त व्यवस्थाएं कराकर हरित क्रांति तकनीकी को बढ़ावा दिया था। इसमें ट्रैक्टर, टिलर, पम्पिंग सेट, दवाएं, रसायनिक खाद, सब उपलब्ध कराये गये थे और इसने खेती के रुप को बदल दिया। देश और किसानों को खाद्य संकट के दौरान ज्यादा पैदावार का 'लाभ' हुआ। शुरु में किसानों को कुछ बचत भी हुई, जो बाद में गायब हो गयीं। कम्पनियां शुरु से अंत तक लाभ कमाती रहीं और लागत के बढ़े दाम तथा मानव स्वास्थ्य की क्षति का सारा बोझ किसानों पर लदता रहा।

नए बीज, मूल्य वृद्धि तथा कारपोरेट लाभ : प्रधानमंत्री ने नए बीजों से खेती में मूल्य वृद्धि होने का दावा किया है। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि फसलों के जिन धंधों में मूल्य वृद्धि होती है वे सभी कारपोरेट के नियंत्रण में हैं और ये सभी विदेशी कम्पनियों से सम्बद्ध हैं। बिरले ही ऐसी कोई फसल बची हो जिससे देश के किसान व उद्यमी कमाई कर सकें। फुटकर व्यापार में विदेश निवेश को दिया गया बढ़ावा, जिसका पहले आरएसएस–भाजपा विरोध करते थे, का भी इस पर बड़ा असर है। आज आरएसएस के 'स्वदेशी' शासन में कृषि उत्पादों का भी सीधा आयात हो रहा है। बाजपेयी शासन में ही कई फसलों के आयात पर लगे ऊँचे कर व मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिये गये थे।

मोदी द्वारा घोषित इन नए बीजों की धूमधाम में 'प्राकृतिक खेती के लाभ और लोगों का जैविक खेती के प्रति आकर्षण' की बड़ी चर्चा की गयी, पर यह नहीं बताया कि इन बीजों का जैविक खेती से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह भी नहीं बताया कि जैविक खाद्य के प्रति आकर्षित लोग ज्यादातर अमीर हैं, जो महंगे खाने पर खर्च कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों की भी बहुत चर्चा की गयी और कहा गया कि यह जैविक खेती की जागृति पैदा करेंगे, पर यह नहीं बताया कि इन केन्द्रों को किसानों की पैदावार व आमदनी बढ़ाने वाले जैविक खेती के बीज व विधियों का विकास करना चाहिए।

नए बीजों के गुण गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मौसम के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होंगे, इनमें खाद्य सुदृढ़ीकरण का गुण है, किसानों की लागत घटेगी और आमदनी बढ़ेगी, पर एक बार भी नहीं कहा कि ये बिना रसायनों के जैविक विधि से उगाये जाएंगे।

आईएआरआई ने बाजार में कई नए बीज जारी किये हैं, जो खरपतवारपनाशको के इस्तेमाल को बढ़ाते हैं। ये हैं पूसा, बासमती, 1979, 1985 और गैर बासमती, 'सवा 134' व 'सवा 127', जिनमें रोपाई नहीं की जाती। इन्हें डीएसआर (डायरेक्ट सीडिंग राइस) कहा जाता है जिसकी नई मशीनें आ गयी हैं। इनके लिए जमीन का लेज़र द्वारा समतलीकरण भी जरूरी है, जिसकी मशीनें भी आ गयी हैं। इन बीजों में अनुवांशिक संशोधन कर इनमें खरपतवारनाशक दवा, इमेजथैपिर को सहने की क्षमता विकसित की गयी है। इनसे किसानों को रोपाई और खेत में पानी भरे रखने के खर्च की बचत होगी पर 2 इंच पानी भरे रखने से जो जंगली घास नहीं उगती, अब उसे मारने के लिए इमेजथैपिर छिड़कना होगा जिसका खर्च उठाना होगा। इसी तरह से बिना जुताई वाले गेहूं के बीज 'गोल' और 'मुकुट' भी हैं पर ये भी जैविक खेती के बीज नहीं है। इन सभी में रासायनिक खाद इस्तेमाल होगा।

प्रधानमंत्री ने किसानों को क्या दिया है? आधिकारिक प्रेस नोट नहीं कहता कि ये बीज रासायनिक खाद व दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम करेंगे। सम्भवतः ये बीज भिन्न मौसम व जमीन में खारेपन से सम्बन्धित हैं। धान की किस्मों की पैदावार 34 से 48 कुन्तल प्रति हेक्टेअर बताई है, जो वर्तमान पैदावार जैसी ही है। अभी तक इनके खेतों में प्रयोग के सभी पहलुओं के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसा लगता है कि सरकार फील्ड ट्रायल का खर्च किसानों पर ही लादेगी।

रसायनिक खाद व दवाओं का मिट्टी पर बुरा असर पड़ता है। जैविक खेती की चर्चा में हमेशा यह कहा जाता है कि रासायनिक खाद से प्रदूषण फैल रहा है। ऐसे शोध उपलब्ध नहीं हैं कि मानव स्वास्थ्य के लिए रासायनिक खाद ज्यादा हानिकारक हैं या दवायें, पर तर्कगत बात यही है कि खाद की तुलना में दवा ज्यादा नुकसान पहुँचाती है। रासायनिक खाद और द्विफसली खेती से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरक क्षमता घट जाती है। यह भी जानकारी है कि रासायनिक खाद ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस आक्साईड और अमोनिया प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। हाल में एक शोध में यह दर्शाया गया है कि ऐसे बीज विकसित किये जा सकते हैं जो कम या ज्यादा यूरिया की खपत करते हैं। यह भी बताया गया है कि यह जरूरी नहीं है कि कम यूरिया खपत वाला बीज कम पैदावार देगा। यानी ऐसे भी बीज विकसित हो सकते हैं जो कम यूरिया खपाएं और ज्यादा पैदावार दें।

विदेश कम्पनियों व कारपोरेट का नियंत्रण : ऐसी रिपोर्ट है कि भारतीय कृषि शोध संस्थान, आईसीएआर ने बहुराष्ट्रीय कम्पनी बायर के साथ एक समझौता किया है जिसमें सन् 2030 तक 10 लाख हेक्टेअर पर डीएसआर खेती करायी जाएगी। इसमें वे आर्थिक समाधान, फसलों की रक्षा (यानी ज्यादा खरपतवारनाशक दवा) तथा यंत्रीकरण (बुआई व लेज़र समतलीकरण मशीनें) विकसित करेंगे। 1980 के दशक में ही साबित हो गया था कि ज्यादा पैदावार के लिए रोपाई जरूरी नहीं है। अब डीएसआर तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी शहर टेक्सास स्थित कम्पनी राइसटेक और भरतीय मेहको के बीच 50–50 फीसदी मालिकाना वाली एक नई कम्पनी 'पार्यान एलाएंस' हाल ही में बनी है। भारत का मेहको मोनसेन्टो बायोटेक भी मेहको और बायर ग्रुप के मानसाण्टो इनवेस्टमेंट की एक संयुक्त कम्पनी है जो जीएम कपास 'बोलगार्ड' तथा 'बोलगार्ड–2' तकनीकी 45 भारतीय बीज कम्पनियों को बेच रही है।

समाधान : खेती के इस संकट का

(शेष पृष्ठ 5 पर)

गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत देश भर में 7807 मामले

यूएपीए : जन आंदोलनों के खिलाफ सत्ता का हथियार

अनिल दुबे

'जमानत नियम है, जेल अपवाद' यह न्यायिक सूत्र वाक्य 1970 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने दिया था। तब से आज 47 वर्ष बीत चुके हैं और इस बीच यह नियम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब तब तमाम मुकदमों में बोलते रहे हैं, लेकिन निचली अदालतों और हाई कोर्टों ने इस आपराधिक न्यायिक नियम को लगातार नजरंदाज किया है। बीते दशकों में खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर इसकी उपेक्षा की है। उल्लेखनीय मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साई बाबा का है, जब मुंबई हाई कोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और एमआर शाह की बेंच ने अवकाश के बावजूद शनिवार को विशेष सुनवाई करके रद्द कर दी। लगभग डेढ़ वर्ष बाद पुनः मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दी। बाद सुप्रीम कोर्ट ने साई बाबा सहित सभी 5 सह आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह न्याय इतने विलंब से हुआ कि 33 वर्षीय खेतीहर मजदूर पांडू नरोटे की जेल में 9 वर्ष तक रहने के बाद 2022 में मृत्यु हो गई। इस तरह सुप्रीम कोर्ट खुद भी कटघरे में है। उसके विलंबित फैसले से एक दशक के बाद दोष मुक्ति राहत पाने वालों के किस काम की जिसमें एक मजदूर निर्दोष होने के clot w ?kj ughaykS I dk vkS 90% विकलांग साईबाबा की नौकरी चली गई।

आरएसएस–भाजपा की मोदी–2 सरकार ने दो काले कानूनों गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का अपने राजनीतिक विरोधियों के अलावा, सरकार की कॉरपोरेट परस्त, सांप्रदायिक और फासिस्ट नीतियों का विरोध करने वालों के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया है। यूएपीए कानून जन आंदोलनों के नेताओं व कार्यकर्ताओं और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसी जंग से कम नहीं। हालांकि जून माह में आए आम चुनाव के परिणामों में आरएसएस–भाजपा की शिकस्त और फिर मोदी–3 की अल्पमत सरकार के रूप में सत्ता में वापसी के बाद स्थितियां कुछ बदली हैं। जुलाई और अगस्त माह में सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान के बुनियादी अधिकारों और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन निचली अदालतों ने अभी भी उस पर तवज्जो नहीं दी है। जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद, जिन्हें 2020 के दिल्ली दंगों में आरोपी बनाकर यूएपीए लगाया गया, की जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में दो बार खारिज हो चुकी है। दिल्ली में सीएए–एनआरसी आंदोलन के लगभग दर्जन भर कार्यकर्ताओं पर दिल्ली दंगों का आरोप पुलिस ने लगा कर यूएपीए का भी मामला दर्ज किया है। ये सभी 3 वर्ष से अधिक समय से जेलों में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त माह में एक फैसला देते हुए कहा कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' का सिद्धांत यूएपीए के तहत दर्ज मामलों पर भी लागू होगा। इस फैसले से यूएपीए के देश में लंबित हजारों मामलों पर असर पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को जमानत पर 'स्थापित कानून' के बारे में याद दिलाया और उनसे कहा कि जब आतंकवाद विरोधी आरोप लगाए जाते हैं, तब भी उन्हें जमानत देने में संकोच नहीं करना चाहिए। उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा, जिसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में गिरफ्तार बिहार के एक व्यक्ति को जमानत देने के मामले में उक्त आदेश जारी किया था। न्यायमूर्ति अभय कोका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा 'यहां तक कि मौजूदा मामले (यूएपीए के तहत) जैसे मामले में भी, जहां संबंधित कानून में जमानत देने के लिए कड़ी शर्तें हैं, वही नियम केवल इस संशोधन के साथ लागू होता है कि अगर कानून की शर्तें पूरी होती हैं, तो जमानत दी जा सकती है।' पीठ ने व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि प्रथम दृश्या उसके खिलाफ आतंकवाद का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद' सिद्धांत का अर्थ यह है कि एक बार जब जमानत देने का मामला बन जाता है, तो अदालतें इसे अस्वीकार नहीं कर सकती।

इससे पूर्व अगस्त माह में ही न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 'न्यूज क्लिक' के मालिक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उनकी गिरफ्तारी यूएपीए में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करती। इसके अलावा जुलाई में जस्टिस जी परदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी। यह देखते हुए कि उसके मामले में मुकदमा बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। पीठ ने उस मामले में कहा था कि लंबे समय तक कैद में रहना और मुकदमे में देरी जमानत देने के अच्छे आधार हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने 'जमानत नियम है और जेल अपवाद है' सिद्धांत को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) पर भी लागू किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी को इसी आधार पर जमानत दी और हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया जिसने जमानत पर रोक लगा दी थी। जस्टिस गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पुनः दोहराया कि कानून की समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किसी नागरिक को आजादी के बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि यह नियम पीएमएलए में भी लागू होगा।

बीते 5 वर्षों में पीएमएलए का इस्तेमाल मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने अथवा समाप्त करने के लिए किया है। वहीं यूएपीए का इस्तेमाल जनता के जनवादी अधिकारों के हनन पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों, बुद्धिजीवियों छात्रों और जल, जमीन, जंगल कॉरपोरेट को सौंपने की सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले नागरिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और जन आंदोलनों के नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ हथियार के तौर पर किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से आरएसएस–बीजेपी सरकार के 2014 से 2021 के 7 वर्षों के कार्यकाल में 10552 लोग देशद्रोह और यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए। इनमें से केवल 253 दोषी पाए गए। इस आंकड़े में देशद्रोह के भी मामले शामिल हैं। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में 2019 से राज्य के विरुद्ध अपराध मामलों के आंकड़े देने शुरू किए हैं। उससे पहले देशद्रोह कालम के नाम से रिपोर्ट में वह प्रदर्शित किए जाते थे।

दरअसल आरएसएस–बीजेपी की केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 संसद में पारित किया था। इसके तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों को औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना, किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत और गवाह के सिर्फ अपने 'यकीन' के आधार पर ही आतंकवादी के रूप में चिन्हित करना संभव बना दिया है। यह आतंकवाद विरोधी कानून में संशोधित था। इससे पहले इस कानून में 2012, 2008, 2004, 1986, 1972 और 1969 में संशोधन किए गए थे। 2019 में संशोधित यूएपीए कानून के तहत आतंकवादी गतिविधियों के लिए किसी संगठन में शामिल होना जरूरी नहीं रहा, बल्कि आतंकवाद का किसी भी रूप में समर्थन करने पर उस व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है। इसके लिए किसी सुबूत या गवाह की भी जरूरत नहीं है। जांच एजेंसियों को सिर्फ यकीन हो जाए कि फलां व्यक्ति आतंकवादी है, तो फिर उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार उसके पास है। इस तरह सरकार को वह हर नागरिक आतंकवादी लग सकता है, जो सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ बोलता, लिखता, या सरकार विरोधी किसी लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों या धरना आदि कार्यक्रमों में शामिल होता है या आयोजित करता है। इस तरह यह कानून आपराधिक न्यायिक प्रक्रियाओं और संविधान के बुनियादी अधिकारों का भी उल्लंघन करता है कि अभियुक्त तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता, जब तक वह दोष सिद्ध ना हो जाए, लेकिन यूएपीए 2019 संशोधन के बाद इन मामलों में आरोपी को फैसले से पहले ही 'आतंकवादी' बना दिया जाता है।

एनसीआरबी की सबसे ताजा रिपोर्ट 2022 की है, जिसमें 1 वर्ष के दौरान 1005 व्यक्ति यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए। कानून में संशोधन के बाद प्रतिवर्ष जो गिरफ्तारियां हुई वह इस प्रकार हैं। 2021 में 814, 2020 में 796, 2019 में 1226 और 2018 में 1182 लोग (देशद्रोह सहित मामले) गिरफ्तार किए गए। वर्ष 2022 में सर्वाधिक 371 लोगों पर जम्मू कश्मीर में यूएपीए लगाया गया। इसके बाद 167 मणिपुर, 133 असम, 101 उत्तर प्रदेश, 71 झारखंड और 28 लोग बिहार में गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 13, छत्तीसगढ़ 3, हरियाणा 11, केरल 23, पंजाब 25, दिल्ली 12, महाराष्ट्र 4 और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 2–2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2021 में कुल 814 यूएपीए के मामले आए, जिसमें सर्वाधिक 289 गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर में हुईं। मणिपुर में 157, असम 95, झारखंड 86, उत्तर प्रदेश 83, बिहार 26, केरल 18, पंजाब 14, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 5–5 लोग गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर में 2020 में भी 293 लोग यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में वर्ष 2018 से 2022 के बीच 27 लोग इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए। गौरतलब है कि एक मामले का मतलब सिर्फ एक आरोपी नहीं है। एक मामले में एक से अधिक आरोपी भी हो सकते हैं। यूएपीए के सर्वाधिक मामले कश्मीर में हैं, जो 370 की समाप्ति के बाद हालात बेहतर होने के केंद्र सरकार के दावों की भी पोल खोलता है।

इस तरह औसतन प्रतिवर्ष 985 मामले यूएपीए के तहत दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या मुस्लिम, दलित और आदिवासियों की है। इसके अलावा सरकार के विरुद्ध बोलने, लिखने अथवा किसी भी स्वरूप में उसकी नीतियों और फासिस्ट एजेंडे का विरोध करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। यह शहर दर शहर हुई गिरफ्तारियों की खबरों को सरसरी तौर पर देखने से लगता है, क्योंकि एनसीआरबी धर्म, जाति, समूह, व्यवसाय अथवा मानवाधिकारवादी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां को अलग–अलग प्रदर्शित नहीं करता। दिल्ली में यूपीए के तहत अधिकांश गिरफ्तारियां सीएए–एनआरसी आंदोलन और उसके दरमियान फरवरी 2020 में हुए हिंसा के बाद हुईं। इसमें 20–22 वर्ष के छात्र–छात्राओं के अलावा, सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। इसमें से अधिकांश को राहत नहीं मिली है और तीन से पांच वर्षों से लोग जेलों में है और अदालतें बार–बार उनकी जमानतें रद्द कर रही हैं, जबकि अधिकांश मामलों में जांच एजेंसी चार्जशीट तक दायर नहीं कर सकी है। इससे पूर्व पुणे का भीमा कोरेगांव मामला उल्लेखनीय है। उसका दमन करने के साथ ही उसके बहाने देश के दर्जन भर से अधिक जन सरोकार रखने वाले बुद्धिजीवियों को वर्षों हिरासत में रखा गया। उनमें से जिनको जमानत दी गई उसकी शर्त खामोशी है!

यूएपीए के तहत हजारों लोग जेल में बंद हैं, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नया जाल बुनना शुरू कर दिया है। अर्बन नक्सल के नाम पर अगस्त के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कई जिलों में बड़े पैमाने पर छापे मारे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जप्त की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव होते हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड में दैनिक जीवन के जरूरी उपकरण बन चुके हैं। उन्हें जांच एजेंसियां कारपोरेट मीडिया के माध्यम से इस ढंग से प्रचारित करती हैं। मानो छापे में गोला बारूद का जखधीरा जब्त किया गया है। अर्बन नक्सल शब्द की अवधारणा आरएसएस बीजेपी सरकार ने कॉरपोरेट मीडिया के माध्यम से गढ़ी है।

एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार जांच, चार्जशीट दायर करने और कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। जांच के लिए कुल 7807 मामले हैं। रिपोर्ट के अनुसार 52 मामले गलत साबित होने के कारण उन पर फाइनल रिपोर्ट लग गई

(शेष पृष्ठ 5 पर)

भारतीय रेल– निजीकरण की तैयारी में रेल यात्रा का

(इस लेख का पहला भाग प्रतिरोध का स्वर के पिछले अंक (अगस्त 2024) में प्रकाशित हो चुका है। इस अंक में इसका दूसरा व अंतिम भाग प्रकाशित किया जा रहा है। - सम्पादक)

अपर्णा

लोगों का जीवन सरकार के लिए परिहार्य (गैरजरुरी) है

लोगों के लिए ज्वलंत चिंता का एक बड़ा क्षेत्र रेल सुरक्षा और रखरखाव के प्रति केंद्र सरकार का तिरस्कार है, जबकि वह मार्गों, मालगाड़ियों और प्लेटफार्मों का निजीकरण कर रही है और लागत में कटौती के उपायों के तहत सभी प्रकार की श्रेणी सी और डी नौकरियों को टेके पर दे रही है। सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला को अनुबंधित कर दिया गया है – स्वच्छता, परिचारक, इंजीनियरिंग अनुभाग, रसोई कर्मचारी और यहां तक कि रेलवे पटरियों के अनुभागों का रखरखाव भी !

दिसंबर 2022 की सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि आरआरएसके – रेलवे संरक्षण कोष – में धन का उपयोग कैसे किया गया। यह फंड 2017 में "सुरक्षा उपायों" के वित्तपोषण के लिए बनाया गया था। इसमें प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपये का कोष होना था, जिसमें केंद्र सरकार से 15 हजार करोड़ रुपये और रेलवे से 5 हजार करोड़ रुपये शामिल थे। चार साल में रेलवे ने अपने हिस्से के बीस हजार करोड़ में से सिर्फ 4225 करोड़ का ही योगदान दिया! सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कोष से पैसे का इस्तेमाल क्रॉकरी खरीदने, बिजली के उपकरणों, शौचालयों के निर्माण और यहां तक कि पैरों की मालिश कराने के लिए भी किया गया था।

पुरानी परिसंपत्तियों में प्रतिस्थापना मूल्यह्रास आरक्षित निधि से किया जाना था। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि इनमें से केवल 0.7 फीसदी धनराशि का उपयोग किया गया है।

रखरखाव के मुद्दे के साथ कार्यबल और यात्री सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। जून 2023 में कोरामंडल एक्सप्रेस, हावड़ा चेन्नई और एक मालगाड़ी की बालासोर दुर्घटना के समय, यह बताया गया था कि रेलवे में 3 लाख रिक्त पद थे; इनमें से एक बड़ा प्रतिशत सुरक्षा से संबंधित नौकरियों (एक लाख 34 हजार रिक्तियां) का था। तब से लोको ड्राइवरों की कमी की नियमित रिपोर्टें आती रहती हैं, जिसके कारण ड्राइवरों को बिना किसी आराम के लगातार चार दिन और रात काम पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बालासोर में कोरामंडल की दुर्घटना के ठीक एक साल बाद दार्जिलिंग में कंचनजंगा और मालगाड़ी की दुर्घटना हुई है। दोनों ही मामलों में समस्या केंद्रीय सिग्नलिंग प्रणाली से जुड़ी थी। बालासोर दुर्घटना के समय, यह व्यापक रूप से बताया गया था कि फरवरी 2023 में सिग्नल दोष की समय पर पहचान करके दक्षिण पूर्व रेलवे पर एक बड़ी दुर्घटना को होने से बचा लिया गया था। बालासोर दुर्घटना में, रेलवे द्वारा बिना किसी जांच या किसी सबूत के सांप्रदायिक आधार पर गुस्से को भड़काने का गंभीर प्रारंभिक प्रयास किया गया था। कंचनजंगा दुर्घटना में, एक घायल यात्री के हस्ताक्षर का उपयोग उस मालगाड़ी के चालक पर तेज गति से गाड़ी चलाने का आरोप लगाने के लिए किया गया था, जो इस ट्रेन से टकराई थी। वह ड्राइवर केवल दिए गए सिग्नल का पालन कर रहा था और दुर्घटना में मारा गया! लेकिन दोष मढ़ने के इस प्रयास से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। लोको चालकों को इस बात का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि मार्गों पर केंद्रीय स्वचालित सिग्नलिंग कैसे संचालित होती है। ऐसा नहीं किया जाता है और उन्हें व्हाट्सएप पर केवल इन्हें नेविगेट (प्रयोग करने) करने के निर्देश प्राप्त होते हैं। ड्राइवरों ने कहा है कि यह पर्याप्त नहीं है और व्यावहारिक प्रशिक्षण की जगह नहीं ले सकता। संयोग से इस मामले में भी मारे गए ड्राइवर को उसके विश्राम अवकाश के बीच बुला लिया गया था और मना करने के बावजूद उसे मालगाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया गया था।

मुख्य बात यह है कि यात्रियों के जीवन के प्रति केंद्र सरकार का रवैया पूरी तरह से उदासीनतापूर्ण है – कोई सबक लागू नहीं किया जाता है, रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और न ही सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित ध्यान दिया जाता है। ये सभी ट्रेनें वस्तुतः प्रवासी स्पेशल हैं, जिनमें देश के नागरिकों से खचाखच भरी बोगियां चलती हैं – जो नागरिक आजीविका की तलाश में यात्रा करते हैं, जिन्हे सभ्य, सुरक्षित यात्रा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में 296 लोग मारे गए थे और 1200 घायल हुए थे। कंचनजंगा हादसे में दो रेलवे कर्मचारियों समेत 15 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हो गए। स्लीपर बोगियों में मरने वालों में से कई लोग वे हैं जो उनमें यात्रा करने के लिए जुर्माना भरने से बचने के लिए रिश्वत देकर यात्रा कर रहे थे, और उनके पास केवल सामान्य टिकट थे, जिस कारण से वे रेलवे के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, पिछले 10 वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं में 2.6 लाख लोग मारे गए, जिनमें ट्रेनों से गिरने वाले और ट्रेन से कुचले जाने वाले लोग भी शामिल हैं।

इस अवधि के दौरान, रेलवे ने न केवल निजी मालगाड़ियों की संख्या में वृद्धि की है, बल्कि ऐसी ट्रेनों को भार (प्रति वाहक बोगी एक्सल लोड) ढोने में वृद्धि भी की है। यह बढ़ा हुआ भार उन्हीं रेलवे पटरियों द्वारा वहन किया जाता है और उनके तेजी से टूटने–फूटने में योगदान देता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 के अनुसार :

– स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (कवच) को 68,426 किमी के कुल रेलवे नेटवर्क के केवल 2.14 फीसदी और 7349 रेलवे स्टेशनो पर तैनात किया गया है। इसे दक्षिण मध्य रेलवे के 1465 किमी पर तैनात किया गया है।

– अब तक 17 परिचालन रेलवे जोन में से केवल 8 ही मैकेनिकल सिग्नलिंग से मुक्त हो पाए हैं।

– 2023 –24 तक, केवल 46 फीसदी रेलवे स्टेशन मैकेनिकल सिग्नलिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पर परिवर्तित हुए। यह प्रणाली भारत में 12 साल पहले शुरू की गई थी।

– स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग मानवीय त्रुटि के लिए एक सिद्ध कम लागत वाला सिग्नलिंग समाधान है और आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इसे 4431 किमी उच्च घनत्व वाले नेटवर्क पर चालू किया गया है। यह भारतीय रेलवे की कुल लंबाई का 6.47 फीसदी है।

आर्थिक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि पिछले 5 वर्षों में रेलवे में पूंजीगत व्यय की तैनाती में 77% की वृद्धि हुई है। इसका उपयोग नई लाइनों, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के लिए किया गया है। जाहिर है रखरखाव के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार ने रक्षक कोष बनाया है, जिसका हश्र ऊपर हम पढ़ चुके हैं।

जवाबदेही से इनकार

रेलवे ने ट्रेन की समयपालनता के बारे में जवाबदेही की आवश्यकता को भी खत्म कर दिया है। केवल वंदे भारत जो मुनाफा कमाने के लिए बनाई गई है, अन्य ट्रेनों को प्रतीक्षा में रखकर, समय पर चलाई जाती है। बालासोर ट्रेन दुर्घटना के तुरंत बाद, एक परिचारक ने दूसरी ट्रेन (एपी एक्सप्रेस) के एक यात्री को, जो ट्रेन के देर से चलने की शिकायत कर रहा था, को बताया कि अधिकारियों ने निर्देश दिया था कि सरकार का कहना है कि ट्रेनें सुरक्षित रूप से चलनी चाहिए, भले देर से चलें। जवाबदेही पूरी तरह खत्म हो गई है; इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ट्रैक की मरम्मत चल रही है या कोई अन्य बाधा है जो ट्रेनों के शेड्यूल को बिगाड़ सकती है। इस प्रकार जिन लोगों को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए ट्रेन बदलने की आवश्यकता होती है, उन्हें अक्सर बीच यात्रा में देर रात तक फंसे रहना पड़ता है। रेलवे कोई सहायता नहीं देता और न ही कोई निवारण करता है।

प्राथमिकता वाले मार्ग कौन से हैं?

एक अहम मुद्दा ट्रेन मार्गों का है। ऐसे कई अध्ययन हैं जो बताते हैं कि किसी राज्य के एक जिले से दूसरे सुदूर राज्य के एक गंतव्य की ओर, जो मुख्य रेल मार्ग पर नहीं है, सघन प्रवासन होता है। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभिक प्रवासी दूसरों को उस विशिष्ट स्थान पर नौकरी के अवसरों के बारे में सूचित करते हैं। अनुभव यह है कि उतरने वाले स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक के छोटे रास्ते पर जल्द ही निजी वाहनों की भरमार हो जाती है, जो अत्यधिक शुल्क लेते हैं और उस दूरी को तय करने का एकमात्र साधन बन जाते हैं। इस प्रकार लंबी दूरी के लिए एक ट्रेन टिकट की कीमत 700 रुपये के करीब खर्च करने के बाद, बस टिकट के रूप में लगभग 2000 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। इसका समाधान केंद्र और मूल राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा प्रवास मार्गों का अध्ययन करना और इसे एकल यात्रा बनाने के लिए रेल मार्गों की शुरूआत करना है। इसके लिए केंद्र सरकार से जिसकी नीतियां आजीविका के अवसरों को खत्म कर रही हैं, और संवेदनहीन राज्य सरकारों से नागरिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है। अंतर राज्य प्रवासन अधिनियम के अनुसार, सभी ठेकेदारों को प्रवासियों को मूल राज्य और उस राज्य दोनों में पंजीकृत करना होगा जहां वे काम करने जाएंगे। ठेकेदार ऐसा नहीं करते, लेकिन राज्य सरकार और उसकी श्रम मशीनरी भी इसकी परवाह नहीं करती। कोविड 19 के जनविरोधी लॉकडाउन में प्रवासियों के पैदल वापसी मार्च के समय बहाए गए घड़ियाली आंसुओं को सूखने के लिए समय की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वे वैसे ही हैं– अस्तित्वहीन हैं।

निगमीकरण की तैयारी

रेलवे ने लोगों से हर सिक्के को इकट्ठा करने के लिए एक अन्य सूदखोर उपाय के तहत वरिष्ठ नागरिक सब्सिडी को हटा दिया है। जहां तक सभी सब्सिडी की बात है तो यह उन बुजुर्गों की छोटी संख्या के बहाने किया गया है जो टिकट खरीद सकते हैं। क्या किसी समाज के लिए वरिष्ठ नागरिकों, जिनमें इतनी छोटी संख्या भी शामिल है, की सहायता करना इतना अयोग्य है? पेंशन पाने वाले या किसी तरह से कमाई करने वाले लोगों सहित बुजुर्गों की अधिकतम संख्या पर चिकित्सा आवश्यकताओं का नया वित्तीय दबाव बना रहता है। कई वरिष्ठ नागरिक 3 एसी में यात्रा करने के लिए इस रियायत का उपयोग करने में सक्षम थे, जिससे चरम मौसम की स्थिति में मदद मिल जाती थी। अत्यधिक अमीरों द्वारा वैसे भी रेल यात्रा का उपयोग करने की संभावना बहुत कम है।

पहले ट्रेनों में ट्रेन अधीक्षक की देखरेख में स्लीपर कोच में से एक में दवा का डिब्बा रखा जाता था। यह अधीक्षक छोटी–छोटी समस्याओं से निपटने के लिए अनिवार्य रूप से ट्रेन में यात्रियों की सूची में से डॉक्टर ढूंढ लेता था। यह डिब्बा अब या तो गार्ड कोच में रखा जाता है, जो यात्री डिब्बों से असंबद्ध है या हटा दिया गया है। नतीजतन, यात्रियों को टीटी से अगले स्टेशन पर डॉक्टर मांगने का अनुरोध करना पड़ता है। कभी–कभी चलती ट्रेन में कोई सम्पर्क नहीं होता है, कभी–कभी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता है जब तक कि टीटी सक्रिय रूप से अनुरोध को अग्रेषित करने में पहलकदमी न ले। ये छोटे बदलाव हैं और ये सरकार द्वारा लोगों की उपेक्षा का संदेश देते है, क्योंकि शासन के व्यस्त कार्यों में लगे लोगों के लिए यह महत्वहीन हैं। *यह सरकार किसके लिए है?* काम करने के लिए है? – यही वह प्रश्न है जो लोगों को पूछना शुरू करना चाहिए।

इसी तरह, पहले रेलवे पेंट्री स्टाफ यात्रियों की छोटी–छोटी जरूरतों को पूरा करता था। कुछ समय पहले ही मधुमेह से पीड़ित यात्रियों के लिए भी इसी दर पर शुगर फ्री चाय उपलब्ध थी। उचित मूल्य पर केवल चपाती या केवल चावल और एक सब्जी का भोजन ऑर्डर करना संभव था। अब ट्रेन पैंट्री में ठेकेदारों

अमानवीयकरण! –II

ने इन सभी छोटे समायोजनों को खत्म कर दिया है। चाय बेचने वाले अनुबंधित रेलवे कर्मचारियों को बेची गई चाय के कप की संख्या पर प्रतिशत के हिसाब से भुगतान किया जाता है, शोषण का स्तर ऐसा हो गया है।

रेलवे प्लेटफार्म पर प्रतीक्षालय और विश्रामालयों की स्थिति भयावह है। बड़े महानगरों में एसी वेटिंग रूम को प्रति घंटे प्रतीक्षा शुल्क के साथ लाभ का उद्यम बना दिया गया है। छोटे स्टेशनों के सामान्य प्रतीक्षालय में यात्रियों को विशेष रूप से जानवरों और कीड़ों के साथ जगह साझा करनी पड़ती है, टूटी हुई या अपर्याप्त बेंचें होती हैं, पंखे काम नहीं करते हैं और अधिकतर कोई भी नहीं होता जिसे जवाबदेह ठहराया जा सके। स्लीपर क्लास की सामान्य गिरावट के अनुरूप, कई छोटे स्टेशनों पर आरक्षित टिकट लेकिन गैर एसी वेटिंग हॉल को अनारक्षित वेटिंग हॉल में विलय कर दिया गया है।

यह अकेले लापरवाही और सरकार की संवेदनहीनता के कारण नहीं है कि सभी सब्सिडी और गैर–भुगतान वाली यात्री सुविधाएं कम हो रही हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, यह पूरा प्रारूप कॉरपोरेट खरीदारों के लिए रलवे के पैकेज को आकर्षक बनाने के लिए है।

निष्कर्ष

बड़े पैमाने पर प्रवासन के मुद्दों से केवल जन–समर्थक शासन द्वारा ही निपटा जा सकता है। कृषि लाभदायक होनी चाहिए, उद्योगों को विकेंद्रीकृत करने और पूरे देश में जिलों में स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए 1947 के बाद के नीतिगत ढांचे को बदलना होगा और इसके बिना आजीविका की तलाश में आगे बढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी।

एक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा – रेलवे किसके लिए है? मुनाफा कमाने वाले कॉरपोरेट के लिए, ट्रेनों, स्टेशनों, निजी माल ढुलाई पर कब्जा करके, अपना पूरा खजाना भरने के लिए? या यात्रियों के लिए, भारतीय लोगों के लिए?

इस प्रकार पहली आवश्यकता एक गंभीर, व्यापक आंदोलन की है जिसका केंद्रीय आह्वान है – निजीकरण पर रोक लगाओ! भारत सरकार को रेलवे चलाना चाहिए और अधिकांश यात्रियों की जरूरतों को सर्वोपरि रखते हुए इसे चलाना चाहिए। पैसा मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाने और उनका विस्तार करने पर खर्च किया जाना चाहिए, न कि बुलेट ट्रेन और अन्य फिजूलखर्ची पर।

जिन मार्गों पर देश के मजदूर आवागमन करते हैं, उन मार्गों पर भीड़ की मैपिंग होनी चाहिए और ट्रेनों में संतुलित वृद्धि होनी चाहिए।

निम्न मांगों पर संघर्ष का निर्माण करना चाहिए–

– स्लीपर कोचों की संख्या को दोहरे अंकों में बहाल किया जाना चाहिए और पर्याप्त सामान्य डिब्बे सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

– अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम को अक्षरशः और भाव में लागू किया जाना चाहिए। प्रवासियों को मूल और गंतव्य स्टेशन दोनों में पंजीकृत किया जाना चाहिए। प्रवासी यात्रा में मदद के लिए 50 फीसदी वेतन दिया जाना चाहिए।

– भोजन की गुणवत्ता के लिए आईआरसीटीसी की निगरानी की जानी चाहिए, अतार्किक भोजन मूल्य निर्धारण को रोका जाना चाहिए, जन आहार पैकेट को सभी प्लेटफार्मों पर अनिवार्य रूप से बेचा जाना चाहिए।

– ट्रेन के समय की जवाबदेही बहाल की जानी चाहिए। ट्रेनों के देर से चलने पर रेलवे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए।

– रेलवे में रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए, अस्थायी कर्मचारियों को सभी नियमित अधिकारों और लाभों के साथ नियमित किया जाना चाहिए ताकि रेलवे के कामकाज में उनकी हिस्सेदारी हो। जिन सेवाओं का निजीकरण कर दिया गया है, उन्हें पुनः रेलवे के अधीन लाना चाहिए।

– रेलवे को रखरखाव के लिए निर्धारित धनराशि खर्च करनी चाहिए।

– पर्याप्त संख्या में स्वच्छ विश्राम कक्ष, चालू रोशनी, पंखे और चार्जिंग पॉइंट के साथ स्वच्छ मानवयुक्त प्रतीक्षालय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। लोगों का आंदोलन इसे सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है।

– सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक सब्सिडी तुरंत बहाल की जानी चाहिए।

– रेलवे को विभिन्न स्तरों पर यात्रियों के साथ परामर्श शुरू करना चाहिए। इन बैठकों में आये सुझावों पर निश्चित समय–सीमा में कार्य किया जाये।

जैविक खेती ....

(पृष्ठ 2 का शेष)

वास्तविक समाधान ऐसे बीजों का विकास करना है जो डीएसआर तकनीक का इस्तेमाल कर सकें ताकि खेतों में पानी भरा रखने की जरुरत किसानों को ना पड़े; ऐसे बीज जिनमें रासायनिक खाद तथा रासायनिक खरपतवारनाशकों की जरूरत न पड़े। सरकार को ऐसे हाईब्रिड या उच्च पैदावार वाली जैविक फसल की किस्मों का विकास करना चाहिए जो भिन्न–भिन्न मिट्टी वाली भूमि और भिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए उचित हों। इन सभी फसलों की आश्वस्त पैदावार तथा सी2+50 फीसदी दर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी आश्वस्त सरकारी खरीद द्वारा करनी चाहिए। यही आगे का रास्ता है।

प्रतीत होता है कि जो फसलें प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित की हैं, वे जैविक खेती की फसलें नहीं हैं और इनका मुख्य लाभ रासायनिक दवा बेचने वाली कम्पनियों को होगा। किसानों के लागत के खर्च बढ़ेंगे और खेती में कारपोरेट नियंत्रण बढ़ेगा।

पी.ओ.डब्ल्यू. तेलंगाना का 7वां राज्य सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न

प्रोग्रेसिव आरगेनाइजेशन ऑफ वीमेन (पी.ओ.डब्ल्यू.) तेलंगाना राज्य कमेटी ने अपना 7वां सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया। सम्मेलन की पूर्व संध्या पर 31 अगस्त 2024 को वी.एस.टी. से इंदिरा पार्क तक एक रैली की गई जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। तेलंगाना में लगभग एक सप्ताह से चल रही तेज बारिश तथा बहुत से क्षेत्रों में जल भराव के बावजूद सभी जिलों से महिलाओं ने रैली में भाग लिया।

इंदिरा पार्क के बाहर हुई सभा को इफ्टू की राष्ट्रीय अध्यक्ष का. अपर्णा, पी.ओ.डब्ल्यू. आंध्र प्रदेश की महासचिव का. लक्ष्मी, पी.ओ.डब्ल्यू. की तेलंगाना अध्यक्ष का. झांसी, महसचिव का. मंगा, का. अनसूया तथा अन्य नेताओं ने संबोधित किया। पी.ओ.डब्ल्यू. की संयोजक का. संध्या ने एकजुटता संदेश दिया। अरुणोदय की टीमों ने अपने जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। सम्मेलन का मुख्य नारा था– पितृसत्ता तथा मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ो।

अगले दिन 1 सितम्बर को सम्मेलन का उद्घाटन सत्र सुंदरैया विग्नान केन्द्र में शुरु हुआ जिसमें जिला सम्मेलनों से चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रारम्भ

(शेष पृष्ठ 8 पर)

(ऊपर) रैली के शुरुआती भाग का फोटो तथा (नीचे) सम्मेलन के मंच का फोटो

यूएपीए : जन आंदोलनों के खिलाफ सत्ता का हथियार

(पृष्ठ 3 का शेष)

है। 5 मामले तथ्य न होने के कारण समाप्त हो गए। 501 मामले अपर्याप्त साक्ष्य और सबूत न होने के कारण रद्द हो गए। 2022 में हजारों लंबित मामलों में से सिर्फ 483 मामलों में चार्जशीट हो सकी है। इसके अलावा पिछले वर्ष के मामलों में 36 पर आरोप सिद्ध हुए और 153 बरी हो गए। जांच एजेंसियों ने हजारों मामलों में से सिर्फ 765 मुकदमे ही ट्रायल के लिए भेजे।

आंकड़े बताते हैं कि बीते एक दशक में यूएपीए का मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, छात्रों, श्रमिकों और आदिवासियों पर अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया है। जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह जैसे प्रावधानों को लागू किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में पत्रकार भी शामिल हैं। भारत में 2010 से 2020 के दौरान गिरफ्तार किए गए पत्रकारों को लेकर फ्री स्पीच कलेक्टिव के अध्ययन "बिहाइंड बार्स" के अनुसार भारत में 154 पत्रकारों को उनके पेशेवर कामों के लिए गिरफ्तार किया गया अथवा पूछताछ की गई या नोटिस जारी किया गया। इनमें से 40% से अधिक मामले वर्ष 2020 में हुए। 9 विदेशी पत्रकारों को भी देश से बाहर निकालने, गिरफ्तारी और पूछताछ का सामना करना पड़ा। 'द वायर' की एक खबर के अनुसार यूएपीए के तहत 16 पत्रकार आरोपित किए गए। इनमें 7 पत्रकार जेल में बंद हुए। आरोप में 8 पत्रकार जमानत पर हैं। एक पत्रकार आरोपित है, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए और एक आरोप मुक्त किए गए। यही नहीं बीते वर्ष अक्टूबर माह में न्यूज पोर्टल न्यूजपेपर के संपादक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म से जुड़े 46 पत्रकारों के घरों पर विदेशी फंडिंग के आरोपों के चलते छापे डाले गए। कुछ पत्रकारों को पूछताछ के बाद मुक्त कर दिया, लेकिन गैर कॉरपोरेट मीडिया जिसमें मुख्यतः फ्रीलांसर, यूटुबर, ब्लॉगर और वेबसाइट चलाने वाले स्वतंत्र पत्रकार डर और आतंक के साए में काम कर रहे हैं।

ओड़िशा : शहरी स्वच्छता महिला कर्मचारियों द्वारा विधानसभा का घेराव

29 जुलाई को शहरी क्षेत्र में सफाई कार्य में लगी हजारों महिला कर्मचारियों ने भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा का घेराव किया। इफ्टू से संबंध ओडिशा स्वच्छता साथी एवं पर्यवेक्षक संघ के आह्वान पर 120 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों नगर निगम पालिका और अधिसूचित क्षेत्र परिषद से 5000 से अधिक स्वच्छता साथी और पर्यवेक्षक भुवनेश्वर के मास्टर कैंटीन चौक पर एकत्र हुए और अपनी 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में विधानसभा की ओर मार्च किया। यह महिला कर्मचारी पिछले 7 वर्षों से बहुत कम वेतन पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम कर रही हैं, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से बहुत कम है, जबकि ओडिशा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित एक कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन 550 रूपए प्रतिदिन तय किया है। स्वच्छता साथियों और स्वच्छता पर्यवेक्षकों को क्रमशः रु. 4000 और रु. 8000 मासिक वेतन ही मिल रहा है। पिछले मार्च में हुए विधानसभा और संसदीय चुनावों से ठीक पहले भुवनेश्वर में दो दिनों की हड़ताल के कारण तत्कालीन राज्य सरकार को कर्मचारियों का वेतन बढाकर क्रमशः रु. 8000 और रु. 12000 रूपए करने पर मजबूर होना पड़ा था।

चुनाव के बाद 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उनका बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है। यहां तक कि इस दौरान सरकार ने पत्र जारी कर यह शर्त रखी है कि उन्हें उनके कार्य ड्यूटी परफॉर्मेंस के आधार पर ही नया वेतन मिलेगा। यही कारण है कि 142 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल कटक नगर निगम ही अपने स्वच्छता साथियों और पर्यवेक्षकों को बढ़ा वेतन दे रहा है। गौरतलब है कि शहरी स्थानीय निकायों में सफाई और स्वच्छता कार्यों की देखरेख के अलावा यह कर्मचारी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह, स्वच्छता सर्वेक्षण और अन्य घरेलू सर्वेक्षण का भी कार्य कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को नागरिकों से उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने का लक्ष्य भी दिया गया है और अधिकारी उनके वेतन को उपयोग कर्ता शुल्क संग्रह के साथ जोड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक काम करने के बावजूद वे यूएलबीएस के अन्य नियमित और यहां तक कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलने वाले सभी प्रकार के लाभों और अधिकारों से भी वंचित हैं। उन्हें कोई ईपीएफ, ईएसआई, मातृत्व अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश पर सवेतन अवकाश, नौकरी की सुरक्षा आदि नहीं मिल रही है। वह स्वयं सहायता समूह के साथ एक साल के ठेका समझौते में लगे हुए हैं, जो उनकी नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी है।

इसलिए अपनी मांगों को लेकर सफाई कार्यों में लगी हजारों महिला कर्मचारियों ने और पर्यवेक्षकों ने जुलाई के दूसरे पखवाड़े में कई विरोध प्रदर्शन किए। सबसे पहले उन्होंने स्थानीय विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपे। 22–24 जुलाई को उन्होंने अपने–अपने शहरी स्थानीय निकायों के सामने प्रदर्शन किया और संबंधित यूएलबी आयुक्तों या कार्यकारी अधिकारियों के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कई जिलों में उन्होंने स्थानीय डीएम को भी अपना ज्ञापन सौंपा। अंत में उन्होंने 29 जुलाई को विधानसभा चलो का आह्वान किया। एक दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने यूनियन के नेतृत्व को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आवास और शहरी विकास के अतिरिक्त सचिव से मुलाकात की। विस्तृत चर्चा के बाद उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा और विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

इसी तरह नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सरकार द्वारा चयनित सभी महिला वार्ड समन्वयकों ने भी उसी दिन विधानसभा चलो कार्यक्रम का आवाहन किया था। इफ्टू से संबद्ध इस यूनियन ने भी स्वच्छता साथी एवं सुपरवाइजर यूनियन के आह्वान के साथ ही अपना भी आह्वान किया। हालांकि इन शिक्षित महिलाओं को 1 वर्ष पूर्व वार्ड समन्वयक के रूप में चुना गया था, लेकिन वे आज तक औपचारिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही हैं। यहां तक कि कई शहरी स्थानीय निकायों ने उन्हें कई महीनों तक बिना किसी वेतन या मजदूरी के अनौपचारिक रूप से नियुक्त कर रखा है। उनकी तीन सूत्रीय मांगे हैं– शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड समन्वयक के रूप में तत्काल नियुक्ति, नियमित वेतन और शहरी स्थानीय निकायों में उनके द्वारा किए गए अनौपचारिक कार्य के लिए पुराने वेतन का भुगतान।

चलो विधानसभा कार्यक्रम में 25 जिलों के 80 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के सैकड़ों वार्ड समन्वयकों ने भाग लिया। सरकार ने भी उनके प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर जल्द ही विचार किया जाएगा।

सिलीगुड़ी में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष जारी

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले की पोराझार–कवाखली जमीन रक्षा समिति ने एआईकेएमएस के नेतृत्व में 31 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जो किसान जमीन नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनसे जमीन छीनी गई थी उनको कृषि भूमि वापस करने के साथ ही मुआवजा दिया जाए। वाम मोर्चा सरकार के दौरान किसानों से जमीन जबरन छीन गया था। किसानों की एक बड़ी रैली 31 जुलाई को डीएम कार्यालय पहुंची। हालांकि किसानों की रैली रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए थे, लेकिन अवरोधों को हटाते हुए प्रदर्शनकारियों ने डीएम कार्यालय में प्रवेश किया।

वर्ष 2004 में पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने शहरीकरण के नाम पर सिलीगुड़ी शहर के पास पोराझार–कवाखली क्षेत्र में 302 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। किसानों ने उस समय अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वाम मोर्चा सरकार ने उसे जबरन अधिग्रहित कर लिया। तभी से किसान अपनी जमीन वापस पाने को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। वर्तमान तृणमूल कांग्रेस सरकार जो उसे समय विपक्ष में थी, उसने भी किसानों की मांग को जायज ठहराया था, लेकिन सत्ता में आते ही उसने इस जमीन पर बाड़बंदी करवा दी।

ममता बनर्जी सरकार ने किसानों को जमीन वापस करने का वायदा किया था, लेकिन 2017 में केवल 52 परिवारों को ही जमीन वापस दी गई। शेष किसान परिवारों को जमीन वापस नहीं मिली। इसके अलावा अदालत में चल रहे मुकदमे के दौरान 81 एकड़ जमीन पूंजीपति हर्ष नियोतिया को बहुत ही कम कीमत पर बेच दी गई। जिस जमीन का बाजार मूल्य 353 करोड रुपए था उसे ममता सरकार ने केवल 78 करोड़ रुपए में बेच दिया, जबकि किसानों को अभी तक अपनी जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा किया गया वायदा पूरा नहीं हुआ है। समिति ने जिलाधिकारी का घेराव किया तो उन्होंने किसानों की जायज मांगों को जल्द पूरा करने के लिए कदम उठाने की घोषणा की है।

पी.एस.यू. द्वारा सरकारी कालिजों के निजीकरण का विरोध

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए पंजाब सरकार ने 8 सरकारी कॉलेजों का निजीकरण करने का फैसला किया। लुधियाना का सरकारी कॉलेज, महिंद्रा कॉलेज (पटियाला), सरकारी गर्ल्स कॉलेज (अमृतसर), सरकारी कॉलेज मोहाली और होशियारपुर कॉलेज निजीकरण की मार झेल रहे हैं। इस कदम का विरोध करते हुए पंजाब स्टूडेंट यूनियन ने इन कॉलेजों में बड़ी विरोध रैलियां आयोजित की।

सरकार दावा कर रही है कि वह कॉलेजों को स्वायत्त बनाएगी। इस स्वायत्तता का क्या मतलब है ? सरकारी कॉलेज अपना पाठ्यक्रम खुद तय करेंगे, परीक्षाएं आयोजित करेंगे और भर्ती, फीस संरचना, आय–व्यय आदि पर फैसला करेंगे। स्पष्ट है कि सरकार सरकारी कॉलेजों को चलाए रखने से भाग रही है। कॉलेजों द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित करने और परीक्षा आयोजित करने का अधिकार शिक्षा की गुणवत्ता को कम करेगा। कॉलेज वेतन, भर्ती और अन्य खर्चों के लिए सरकार से किसी वित्तीय सहायता की उम्मीद नहीं कर सकेंगे। इससे फीस में अत्यधिक वृद्धि होगी और बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा पाने से बाहर होने को मजबूर हो जाएंगे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ही इन कॉलेजों को स्वायत्तता के लिए नामित किया था। इस बारे में शिक्षा सचिव केके यादव की ओर से भी बयान आ चुका है। केंद्रीय नौकरशाही सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपलों पर दबाव बना रही है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक प्रस्ताव बनाकर भेजें, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि कॉलेज स्वायत्त होने के लिए तैयार हैं। पंजाब सरकार इस मुद्दे पर चुप है और शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं कहा है। पंजाब सरकार की खामोशी से यह स्पष्ट है कि उसे केंद्र सरकार की नीतियों से कोई विरोध नहीं है। सरकार का यह फैसला शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह करने वाला है। शिक्षा क्षेत्र जनता के पैसे से और जनता के लिए स्थापित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लोगों को सस्ती कीमत पर शिक्षा और स्वास्थ्य आदि प्रदान करना है। इसने रोजगार के अलावा स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान किया है। शिक्षा गांव–गांव तक पहुंची, गांव–गांव में स्कूल खुले और यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी कॉलेज भी खोले गए, लेकिन सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ की लागू की गई नीतियों ने निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की और सभी सत्तारूढ़ दलों ने इसके लिए रास्ता तैयार किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन ईपी) पूरे सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को तबाह कर देगा। यह रोजगार सहित सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सभी संभावनाओं को छीन लेगा। देश की 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। एक बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। इन तबकों के छात्र सरकारी कॉलेज में जाते हैं। निजी कॉलेज मास्टर डिग्री के लिए 20 से 25 लाख रुपए ले रहे हैं, जबकि सरकारी कॉलेज में इसी डिग्री के लिए 20 से 25 हजार रुपए फीस देनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर सरकारी कॉलेजों को अधिग्रहित करने में रुचि दिख रहे हैं। उनका इरादा शिक्षा को गरीबों तक पहुंचाने का नहीं, बल्कि उसका एक बाजार खड़ा करने का है। वे शिक्षा को एक वस्तु बनाना चाहते हैं। केंद्र ने शिक्षा नीति लाकर शिक्षा पर राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। पंजाब सरकार को इस कदम का विरोध करना चाहिए और अपनी नीति बनानी चाहिए। ऐसा करने के बजाय उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। पंजाब छात्र संघ (पीएसयू) ने सरकार से मांग की है कि वह इस फैसले को वापस ले, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को छेड़ने की नीति को त्यागे और शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले।

बंगलादेश : निरंकुश सरकार का अंत और आगामी संघर्ष

(पृष्ठ 1 का शेष)

पुलिस बलों पर हमले किए गए और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 19 पुलिसकर्मियों की पीट–पीटकर हत्या कर दी गई। हसीना के देश से भागने के बाद, जन सैलाब ने सड़कों पर नियंत्रण कर लिया और शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति सहित कई स्थानों पर तोड़फोड़ की और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में भी घुस गये। 5 अगस्त के बाद की अवधि में, आवामी लीग के नेताओं के घरों और संपत्ति पर हमला किया गया और उनमें से लगभग दो दर्जन के मारे जाने की रिपोर्ट है।

5 अगस्त के बाद अल्पसंख्यकों (हिन्दुओं) पर भी कई हमलों की खबरें आई हैं। हिंदू, ईसाई और बौद्धों की संयुक्त परिषद के अनुसार, हिंदुओं के दस धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया। ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र पर हमला हुआ। रंगपुर में दो हिंदू पार्षदों की हत्या कर दी गई। कई स्थानों पर उनके घरों तथा दुकानों पर हमले किये गये। अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ इन हमलों की छात्र नेताओं और लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने निंदा की है। छात्रों तथा लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों ने अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए समूह बनाए हैं। ये कार्रवाइयां स्पष्ट रूप से उन ताकतों की हरकतें हैं जिन्होंने इस शासन शून्यता में अपने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का अवसर देखा। अगर ये हरकतें जारी रहीं तो ये ताकतें मजबूत होंगी।

सेना और राष्ट्रपति ने आवामी लीग को छोड़कर छात्र नेताओं, नागरिक समाज संगठनों के नेताओं और राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बाद अंतरिम प्रशासन के लिए सलाहकारों, एक प्रकार की अंतरिम सरकार, को नियुक्त किया है। छोटे उत्पादकों को कॉरपोरेट नियंत्रित वित्तपूंजी के तहत लाने के लिए बंगलादेश में माईक्रो फाइनेन्स ऋण के लिए जाने वाले मोहम्मद यूनुस के साथ 8 अगस्त को 16 सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। फुलब्राइट स्कॉलर –छात्रवृत्ति– प्राप्त श्री यूनुस, नोबेल शांति पुरस्कार तथा ओबामा के राष्ट्रपति काल में अमेरिकी कांग्रेस के स्वर्ण पदक के प्राप्तकर्ता रहे हैं। पश्चिमी ताकतों के जाने–माने समर्थक श्री यूनुस ने 27 मंत्रालय अपने पास रखे हैं। अन्य सदस्य दो छात्र नेताओं सहित विभिन्न सामाजिक समूहों से लिए गए हैं। सेना निश्चित रूप से इस अंतरिम सरकार का मुख्य सहारा है। इस अंतरिम सरकार का घोषित जनादेश लोकतंत्र को बहाल करना यानी "स्वतंत्र और निष्पक्ष" चुनाव कराना है। इस अभ्यास को पूरा करने के लिए कोई समय अवधि घोषित नहीं की गई है।

यह स्पष्ट है कि छात्रों में तीव्र गुस्सा और लोगों में गहरी नाराजगी ने हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने में जीत हासिल की है। वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम समर्थक तत्व भी सत्ता में आये हैं, हालांकि दूसरी ताकतें भी प्रभावशाली हैं तथा स्थिति बहुत अस्थिर है।

भारतीय मीडिया के अधिकांश हिस्से में इसे चीन द्वारा प्रायोजित तख्तापलट के रूप में प्रस्तुत किया जाना व्यापक रूप से गलत है और इसका उद्देश्य पश्चिमी शक्तियों की गतिविधियों पर पर्दा डालना है जिनकी हसीना सरकार के प्रति शत्रुता ज्ञात है। इसी तरह, भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया है और इन हमलों के खिलाफ छात्र नेताओं और लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों के प्रयासों को नजरअंदाज किया है। यह ऐसे हमलों से भारत में सांप्रदायिक लाभ लेने की उनकी योजना के अनुरूप है।

शेख हसीना के निष्कासन के साथ, भारत सरकार को बंगलादेश में जाहिर तौर पर झटका लगा है। इससे भारत सरकार की पूर्व की ओर देखो नीति, यहां तक कि उत्तर–पूर्व की स्थिति से निपटना भी जटिल हो जाएगा। हालाँकि, इससे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल स्थित देश के कई उद्यमियों को बड़ा नुकसान होगा जो बंगलादेश के साथ व्यापार कर रहे थे। भारत सरकार को उनकी शिकायतों का समाधान करना चाहिए।

बंगलादेश में आने वाला समय उथल–पुथल भरा रहने वाला है। छात्र और मध्यम वर्ग की लामबंदी सत्ता में बैठे लोगों को उखाड़ फेंकने में सफल होने पर भी, नीतियों के विकल्प को जन्म नहीं देती है और अक्सर सत्ता में आने के लिए प्रतिक्रियावादियों के एक अन्य समूह द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। बंगलादेश में लंबे समय से एक मजबूत छात्र आंदोलन रहा है, लेकिन यह बात उनके लिए भी सच है। ऐसे परिवर्तनों से स्थायी परिवर्तन लाने के लिए, इन्हें संगठित श्रमिक वर्ग और मेहनतकश लोगों के साथ एकीकृत और समर्थित होना होगा। वैकल्पिक राज व्यवस्था को वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होगी। माइक्रो फाइनेंस लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं है। फिर भी, लोग आगे बढ़ रहे हैं और इससे क्रांतिकारी ताकतों को बांग्लादेश को साम्राज्यवाद और प्रतिक्रिया से मुक्ति की ओर ले जाने का अवसर मिलता है। यह कठिन मगर दिलचस्प समय है।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी लोगों के संघर्ष का समर्थन करती है और बांग्लादेश में क्रांतिकारी, लोकतांत्रिक और संघर्षरत ताकतों के साथ खड़ी है।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी

09.08.2024

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *लेख, रिपोर्ट, सुझाव तथा राशि पत्रिका के पते पर भेजें।*

तेलंगाना : पीडीएसयू–पीवाईएल द्वारा विधान सभा के सामने प्रदर्शन

हैदराबाद : बीते चुनावों में प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाने, सरकारी शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने और निजी कॉरपोरेट शिक्षण संस्थानों को विनियमित करने का वायदा किया था। उसने कहा था कि छात्रों और बेरोजगारों की समस्याओं

का समाधान किया जाएगा लेकिन सत्ता में आने के बाद पहली बार पेश किए गए लेखानुदान बजट में शिक्षा क्षेत्र को आवंटित धन कम था। 25 जुलाई को वर्ष 2024–25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। 2 लाख 91 हजार 159 करोड़ के बजट में शिक्षा क्षेत्र को केवल 21 हजार 292 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए, जो राज्य के बजट का केवल 7.36 प्रतिशत है। राज्य सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध में पीडीएसयू– पीवाईएल के छात्रों और युवाओं ने पुलिस दमन एवं अवरोधों के बावजूद 31 जुलाई को हैदराबाद विधानसभा का घेराव किया।

रिक्त पदों पर भर्ती की गारंटी नहीं

पीडीएसयू–पीवाईएल ने तेलंगाना राज्य के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए धन में वृद्धि, लंबित शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति जारी करने, नौकरी कैलेंडर तुरंत जारी करने और विधानसभा में रिक्त भर्तियों की घोषणा करने, शिक्षा मंत्री की नियुक्ति करने और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचा प्रदान करने की मांग की। 26–27 जुलाई से पीडीएसयू– पीवाईएल ने सरकार के पुतले जलाने सहित पूरे राज्य में प्रदर्शन और आंदोलनात्मक कार्यक्रम किए। 31 जुलाई को पीडीएसयू–पीवाईएल ने छात्रों और युवाओं से विधानसभा घेराव का आवाहन किया। 28, 29 और 30 जुलाई को पूरे राज्य में विरोध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया।

पुलिस ने विधानसभा घेराव के आह्वान को बाधित करने के लिए पूरा प्रयास किया। एक दिन पहले राज्य में गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद 60 से अधिक युवा और छात्र नेता पुलिस ज्यादतियों की अवहेलना करते हुए हैदराबाद पहुंच गए। पुलिस ने विधानसभा के आसपास के इलाकों में पांच स्तरीय सुरक्षा स्थापित की थी। सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने भारी सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। पीडीएसयू–पीवाईएल नेताओं ने इन सारे अवरोधों को तोड़ते हुए 3 चरणों में विधानसभा की घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान पुलिस और नेताओं के बीच तीखी नोक–झोंक हुई। पीडीएसयू पीवाईएल नेताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसके बाद काफी भीषण झड़प हुई और बहुत से छात्र और युवा नेता घायल हो गए। भारी तनाव के बीच सभी नेताओं को गिरफ्तार कर हैदराबाद के बंदलागुड़ा और शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशनों में हिरासत में रखा गया। पीडीएसयू–पीवाईएल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का राज्य में व्यापक प्रभाव पड़ा है। तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त को नौकरी कैलेंडर तत्काल जारी करने की घोषणा की। फिलहाल यह आंशिक जीत है और आंदोलन की राह पर चल रहे छात्रों की सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का परिणाम है।

इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी की टिप्पणी

एकीकृत पेंशन योजना, एनपीएस पीड़ितों को कितनी राहत ?

रिपोर्टों के अनुसार मोदी 3.0 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली एक नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। योजना का ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं है।

सबसे पहले, यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जीत है, भले ही यह आंशिक तौर पर हो, लेकिन केंद्र सरकार एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की देशव्यापी मांग के मुद्दे पर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई है। हालांकि प्रस्ताव की एक सरसरी जांच से पता चलता है कि यह नरेंद्र मोदी सरकार की जुमला परंपरा के ही तहत कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करने का दिखावा किया जा रहा है, जो कई छिपी हुई शर्तों के साथ है।

23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस पेंशन योजना के बढ़े हुए भुगतान के मद्देनजर सरकार द्वारा सालाना 6250 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। एनपीएस के तहत लाभ के ऊपर कर्मचारियों को यूपीएस के लिए इस छोटे से अतिरिक्त योगदान के साथ कितने अधिक लाभ की आशा की जा सकती है।

1. अंतिम वेतन (10 साल की सेवा पूरी होने के बाद) के 50 प्रतिशत की सुनिश्चित पेंशन स्वीकार कर ली गई है, लेकिन 25 साल से कम की सेवा के लिए आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। ओपीएस में ऐसी कोई कटौती नहीं है।

2. मूल्य सूचकांक में वृद्धि के लिए भुगतान की जाने वाली महंगाई राहत की मांग को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि निष्प्रभावीकरण कितने प्रतिशत होगा। ओपीएस में 100% न्यूट्रलाइजेशन है।

3. ओपीएस के तहत पेंशन को वेतन आयोग द्वारा हर 10 साल में संशोधित किया जाता है। यहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

4. पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशन के 60% की दर से पारिवारिक पेंशन स्वीकार की गई है।

5. न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति माह तय की गई है लेकिन 10 साल की सेवा के बाद न्यूनतम वेतन 24,000 है, इसलिए पेंशन 12,000 होनी चाहिए।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

कोरापुट (ओडिशा) : निर्माण श्रमिकों ने न्यूनतम वेतन की लड़ाई जीती

भारतमाला–6 लेन परियोजना में कार्यरत निर्माण श्रमिकों को संघर्ष के बाद न्यूनतम वेतन की मांग कंपनी प्रशासन को माननी पड़ी। 600 से अधिक निर्माण श्रमिक भारतमाला प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्त

पोषित 6 लेन रायपुर– विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे परियोजना भारत माला के निर्माण में एक निजी कंपनी बेकेम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में लगे 600 से अधिक निर्माण श्रमिकों ने न्यूनतम वेतन न मिलने के खिलाफ 17 अगस्त को उड़ीसा के कोरापुट जिले के अम्पाबाली में कंपनी के कैंप कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय एआईकेएमएस सदस्यों और इफ्टू से जुड़े सीमेंट प्लांट श्रमिकों ने भी निर्माण श्रमिकों के आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया।

कंपनी शुरू से ही अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने से इंकार करती रही है, जबकि ओडिशा सरकार ने बीते मार्च में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 450 रुपए घोषित की थी। कंपनी सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए केवल 360 रुपए दैनिक मजदूरी दे रही थी। यहां तक कि श्रमिकों के अन्य अधिकारों का भी सम्मान नहीं किया जा रहा था और ना ही उन्हें कोई सुविधा दी जा रही थी। नियमित कर्मचारियों और उन श्रमिकों को ईपीएफ और ईएसआई का लाभ भी नहीं मिल रहा है, जो कई वर्षों से कंपनी में काम कर रहे थे। जब भी श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी और अन्य अधिकारों के लिए आवाज उठाई, तो उन्हें प्रताड़ित किया जाना और गलत आरोप लगा कर काम से हटा दिया जाना श्रमिकों के लिए रोजमर्रा की बात थी। परियोजना में काम कर रहे 600 से अधिक श्रमिकों में से कई स्थानीय क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के गांवों से आए हैं। इसके अलावा काफी श्रमिक स्थानीय युवा आदिवासी हैं, जिन्होंने इस बड़ी परियोजना के लिए अपनी जमीन, जंगल, और आजीविका खो दी है। वह मुख्य रूप से अकुशल श्रमिकों के रूप में कंपनी में काम कर रहे हैं।

इफ्टू के नेतत्व में सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों के संघर्ष से प्रभावित होकर भारतमाला परियोजना के श्रमिकों ने इफ्टू और एआईकेएमएस नेतृत्व से संपर्क किया और अपनी कंपनी में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने की मंशा जताई। 17 अगस्त को सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों ने काम बंद कर दिया और सभा की। बाद में अम्पाबाली के पास कंपनी के कैंप कार्यालय की ओर मार्च किया और वहां कई घंटे तक घेराव कर प्रदर्शन किया।

हमेशा की तरह कंपनी के अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को बुला लिया और आंदोलनकारी मजदूरों को डराने की कोशिश की। परंतु श्रमिकों के आक्रोश और आंदोलनात्मक तेवर को देखते हुए कंपनी के अधिकारियों को मांगों पर सहमति जतानी पड़ी। श्रमिकों की कंपनी के अधिकारियों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग 1 घंटे तक वार्ता हुई। कंपनी के एचआर प्रमुख ने 16 अगस्त से सभी 600 से अधिक श्रमिकों का वेतन न्यूनतम मजदूरी 450 रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा कंपनी ने किसी भी मजदूर को बेवजह काम से नहीं हटाने का आश्वासन भी दिया।

पी.ओ.डब्ल्यू. तेलंगाना का राज्य सम्मेलन

(पृष्ठ 5 का शेष)

सुश्री शांता सिंहा के स्वागत भाषण से हुई। सम्मेलन ने महिला शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा। सम्मेलन का उद्घाटन भाषण सुश्री रमा मलकोटे ने दिया जिसमें उन्होंने महिलाओं पर आर्थिक नीतियों के प्रभावों की चर्चा की।

उद्घाटन सत्र में अतिथि वक्ता मेरी जान ने महिलाओं के समक्ष विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यद्यपि उच्च शिक्षा में महिलाएं 48 प्रतिशत है पर यह रोजगार में नहीं दिखाई देता। रोजगार का अभाव भी महिलाओं को घरों के भीतर धकेल रहा है।

इस सत्र में पी.एम.एस. दिल्ली की महासचिव पूनम, पी.ओ.डब्ल्यू. आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष गंगा भवानी, स्त्री जागृति मंच पंजाब की महासचिव अमन तथा पी.ओ. डब्ल्यू. संयोजक संध्या ने अपने शुभकामना संदेश सम्मेलन को दिये।

खुले सत्र के दूसरे भाग में कल्पना कन्नाबिरन 'नये अपराधिक कानून तथा महिलाएं' विषय पर बोलते हुए इन कानूनों के महिलाओं पर असर के बारे में बोलीं। इसी सत्र में दलित तथा आदिवासी आंदोलनों पर सुजाता सुरेपल्ली तथा रंजीता ने अपने विचार रखे।

सत्र को संबोधित करते हुए बपर्णा ने पितृसत्ता के विरुद्ध संघर्ष के विभिन्न पहलुओं तथा इसके अन्य संघर्षों से अंतरसम्बंधों की चर्चा की।

अगले दिन 2 सितम्बर को सम्मेलन में पी.ओ.डब्ल्यू. की कार्य रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बाद में सम्मेलन ने राज्य कमेटी तथा पदाधिकारियों का चुनाव किया।

महिला संगठनों द्वारा आरजीकार मेडिकल कालेज (कोलकाता) में महिला डाक्टर के क्रूर सामूहिक बलात्कार और हत्या की समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग

9 अगस्त को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच युवा डॉक्टर के साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। श्वसन विभाग में रात्रि ड्यूटी होने के कारण वह अस्पताल परिसर में सेमिनार कक्ष में थी।

पोस्टमार्टम से हमले की क्रूरता का खुलासा हुआ है। उनका चेहरा दीवार से सटा होने के कारण अंदर घुस गया। उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी – उनका थायरॉइड कार्टिलेज टूट गया था। चश्मा टूट जाने के कारण उनकी आंख जख्मी हो गई थी। रिपोर्टों के अनुसार उनके प्राइवेट पार्ट में फ्रैक्चर (जननांग फ्रैक्चर) था और कई चोटें भी थीं। उनके शरीर में 150 मिलीलीटर वीर्य पाया गया। और इन सबके लिए कोलकाता पुलिस ने 'एक' आदमी को जिम्मेदार ठहराया!

उसके हैरान सहकर्मियों ने प्रिंसिपल से "माफी" की मांग की। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तुरंत उन्हें और भी अधिक प्रतिष्ठित 'राज्य सरकार अस्पताल– कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का प्रमुख बना दिया गया! क्या राज्य सरकार एकदम बेपरवाह है या फिर कुछ और भी दाव पर है?

हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई की कुछ सीमाएं हैं। एक तरफ जांच राज्य सरकार के शिकंजे से बाहर जा रही है, दूसरी तरफ अपराध स्थल पर 'नवीनीकरण' शुरू हो जाता है। सबूतों का एक हिस्सा निश्चित रूप से नष्ट हो गया है और राज्य सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा।

पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों का दृढ़, शांतिपूर्ण संघर्ष अखिल भारतीय स्तर पर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल बन गया। जैसे ही न्याय की मांग बंगाल में एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुई और महिलाएं सड़कों पर फिर से कब्जा करने के लिए उमड़ पड़ीं, गुंडों ने आरजीकर डॉक्टरों के धरने पर हमला किया, आपातकाल वार्ड को तोड़ दिया और मरीजों, डॉक्टरों, नर्सों की पिटाई की। राज्य सरकार ही पुलिस पर विश्वास कर सकती है कि वो ,'भीड़ को काबू नहीं कर पाई' ! उन्हें ये भी नहीं पता चला कि भीड़ इकठ्ठा हो रही है !

अभया को, जैसा कि संघर्षरत डॉक्टरों ने अपने बहादुर सहयोगी का नाम दिया है, न्याय मिलना चाहिए। असहज करने वाले सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने कुछ रैकेट का पर्दाफाश किया, सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की। सारे तथ्य सामने आने चाहिए।सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।'

केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच टकराव जो एक वास्तविकता है, सच्चाई को उजागर नहीं करेगा।

सच को उजागर मत होने दो। दोषियों की पहचान किए बिना दोषियों को फाँसी देने की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की खोखली बातें अच्छी नहीं हैं।

अपराध के अनुपात में केवल उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा समयबद्ध न्यायिक जांच ही उचित उपाय होगा।

हम पूरे देश की महिलाओं से आह्वान करते हैं– आइए इस युवा जुझारू महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करने के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर आएं !

दोषियों की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें सजा दी जानी चाहिए।

अभया के लिए न्याय हमारा संकल्प है।

(प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वूमेन (POW) तेलंगाना, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वूमेन (POW) आंध्र प्रदेश, प्रगतिशील महिला संगठन (PMS) दिल्ली तथा स्त्री जागृति मंच (IJM) पंजाब के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन द्वारा 16 अगस्त 2024 को जारी)

यू.पी.एस. पर इफ्टू की टिप्पणी

(पृष्ठ 7 का शेष)

6. ग्रेच्युटी के अलावा हर 6 महीने की सेवा के लिए 3 दिन के वेतन का एकमुश्त भुगतान। इसलिए, 30 साल की सेवा के बाद अतिरिक्त 6 महीने की मजदूरी एकमुश्त है ?

यह आंशिक जीत ही है, लेकिन इस फैसले में सरकारी कर्मचारियों की भी जीत है और सरकार को पूरी तरह से ओपीएस में वापस लौटने के लिए मजबूर करने का रास्ता भी खुलता है। इसलिए आंदोलन को और तेज किया जाना चाहिए।

ओपीएस वापस लाओ !

राष्ट्रीय कमेटी इफ्टू

24 अगस्त 2024

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand, Girinagar, New Delhi-110019

Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर , नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार